केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/246 दिनांक: 16.08.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00239
CICOM/R/2017/00524

अपीलकर्ता : श्री शत्रुहन सिंह,
पुत्र – स्व0 श्री शिवदुलारे सिंह,
ग्राम व पो0 – अर्जुनामऊ,
तहसील – हसनगंज,
जिला – उन्नाव, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 16.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	17.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	154831/08.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 17.05.2017 को प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सहीं है । अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 29.06.2016 एवं 20.08.2016 को लिखे गए पत्र में बताई गई कमियों को दूर करते हुए श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1), केन्द्रीय सूचना आयोग को पत्र लिखें । अपीलकर्ता को यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायायिक क्षेत्र से बाहर हैं इसलिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों/प्रथम अपीलों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

A/R 17/08/17

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
17 AUG 2017
D. No.........
Initials.........